न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 53/2017/(2017/00097) जिला–नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

–––अपीलांट

बनाम

1. पूसाराम उर्फ परसाराम पुत्र स्व0 श्री शिवबक्ष
2. गिरधारी राम पुत्र स्व0 श्री शिवबक्ष
3. मलाराम उर्फ मूलाराम पुत्र स्व0 श्री शिवबक्ष
4. बजरंग लाल पुत्र स्व0 श्री शिवबक्ष
5. झूमा देवी पुत्री श्री शिवबक्ष उक्त सभी (1 से 5)की जाति मेघवाल हाल आबादी कड़वा का बांसड़ा, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
6. सोहनी देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमाराम
7. आंचुकी पुत्री स्व0 श्री प्रेमाराम
8. मिरकी पुत्री स्व0 श्री प्रेमाराम
9. हणमानराम पुत्र स्व0 श्री प्रेमाराम
10. सुखाराम पुत्र स्व0 श्री प्रेमाराम उक्त सभी (6 से 10) की जाति मेघवाल हाल आबादी कड़वा का बांसड़ा, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
11. सीताराम पुत्र स्व0 श्री भैरूराम
12. पेमाराम पुत्र स्व0 श्री भैरूराम
13. छोटी देवी पुत्री स्व0 श्री भैरूराम जाति मेघवाल
14. पतासी देवी पुत्री स्व0 श्री भैरूराम जाति मेघवाल
15. श्रीमती कानी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री भैरूराम, उक्त सभी (11 से 15) की ओर से जरिये मुख्त्यार अपीलांट संख्या 16 मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री भैरूराम जाति भांबी (मेघवाल) निवासी कड़वा का बांसड़ा, कुचामनसिटी।
16. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री भैरूराम जाति मेघवाल निवासी कड़वा का बासड़ा कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

––– प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी अन्तर्गत
प्रार्थना पत्र संख्या 48/13 दिनांक 27–01–2017
बउनवान पूसाराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री बी.एस.शेखावत् अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः— 24—07—2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 16 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा के नवीन खसरा नम्बर 12, 17, 18, 24, 25, 26, 78, 80, 81 कुल रकबा 5.12 हैक्टर के संबंध में अंकित अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करते हुए अपीलांट (तहसीलदार) का नाम को हटाकर राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कर पुनः संशोधन करके शुद्ध प्रविष्टि के तौर पर शिवबक्ष व भैरूराम के वारिसान के नाम शुद्ध अंकन कर खातेदारी की प्रविष्टि करने हेतु प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—1—2017 से प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, कुचामनसिटी को निर्देशित कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी (तहसीलदार) द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा—5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 20—4—2017 को न्यायालय में उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी एवं राज्यहित होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 27—1—2017 की प्रमाणित दिनांक 24—4—2017 को प्राप्त होने पर हुई। दिनांक 24—4—2017 से आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ता अभियान एवं न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में कर्तव्य निर्वहन फलस्वरूप व्यस्त रहने के कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी के दिन से अपील आज प्रस्तुत करने के मध्य की अवधि में राज्य कार्यवश व्यस्त रहने से उक्त अवधि को सद्भाविक विलम्ब अवधि में मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करने की कृपा करावे। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट (गुणावगुण) पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा—5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 16 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा के गत खसरा नम्बर 2 रकबा 64 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी 2 प्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के पूर्वज शिवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 एवं प्रार्थीगण संख्या 11 से 16 के पूर्वज भैरू पुत्र मूला 1/2 जाति मेघवंशी सा0 बांसड़ा तत्कालीन भूमिधारी राजा साहब हरिसिंह ठिकाना के काश्तकार थे जिनके द्वारा लगान अदा किया जाता रहा था। जागीरदारी प्रथा रिज्यूम होने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर उक्त शिवबक्ष व भैरू राजस्व अभिलेख में बहैसियत काबिज खातेदार हो गये तद्नुसार राजस्व अभिलेख में गत खसरा नम्बर 2 रकबा 65.02 बीघा की प्रविष्टि का अंकन हो गया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लिपिकीय त्रुटि के कारण राजस्व रेकार्ड में शिवबक्ष व भैरूराम की संयुक्त खातेदारी की 65.02 बीघा आराजी में से बिना किसी सक्षम अधिकारी की घोषणात्मक दावे के खसरा नम्बर 2/1 रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की खातेदारी की अशुद्ध प्रविष्टि का अधिकार अभिलेख में कर दिया गया जिसके नवीन सेटलमेंट कार्यवाही में नवीन खसरा नम्बर 16 रकबा केवल मात्र 4.62 हैक्टर ही दर्ज हुए तथा 4 बीघा कृषि आराजी भी कम कर दी गयी, शेष 32 बीघा 11 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अशुद्ध प्रविष्टि दर्ज कर नवीन खसरा नम्बर 12, 17, 18, 24, 25, 26, 78, 80, 81 कुल 5.12 हैक्टर के रूप में कर दी गई तथा शिवबक्ष के पिताजी का नाम उमाराम एवं भेरूराम के पिता का नाम गुल्लाराम था, परन्तु राजस्व अधिकारियों की लिपिकीय भूलसे त्रुटिवश श्री शिवबक्ष तथा भैरूराम की वल्दियत की अशुद्ध वर्तनी दोनों का अधिकार अभिलेख में अशुद्ध इन्द्राज कर दिया गया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा मनघडंत एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में सम्वत 2035–38 के दौरान अशुद्ध प्रविष्टि अंकन किये जाने का उल्लेख किया है। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि खसरा नम्बर 2/1 रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा बारानी दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 2 की शेष 32 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी कृषि अलाव जोत काबिल काश्त की अशुद्ध प्रविष्टि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज हो गई। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 में प्रविष्टि इस प्रकार दर्ज है नोट जरिये नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 2–9–1977 के अनुसार खाता हाजा में 1/2 हिस्सा रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा की अलाव जोत काबिल राज्य सरकार के हक में मंजूर हुआ।'' इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है सम्वत 2031–34 की जमाबंदी में दर्ज उक्त प्रविष्टि आज दिनांक तक पूर्ववत राजकीय दर्ज चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी सम्वत 2031–34 में दर्ज प्रविष्टियों की अनदेखी करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित गलत

तथ्यों के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम पनवाडी पटवार हलका रूपपुरा–टोरडा तहसील नावा जिला नागौर में स्थित कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 64 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 10 के पूर्वज शिवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 11 से 16 तक एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्वज भैरू पुत्र मूला 1/2 दोनों की जाति मेघवाल साकिन बांसड़ा तात्कालीन भूमिधारी राजासाहब हरिसिंह ठिकाना कुचामनसिटी के काश्तकार थे तथा लगान अदा करते थे तत्पश्चात जागीरदारी प्रथा रिज्यूम होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन उक्त शिवबक्ष व भैरू विधिवत रूप से राजस्व अभिलेख में बहैसियत खातेदार काबिज हो गये। तद्नुसार राजस्व अधिकार अभिलेख में गत खसरा नम्बर 2 की 65 बीघा 2 बिस्वा आराजी की प्रवितष्ट का अंकन हो गया और राजस्थान को नियमानुसार लगान अदा करते चले आ रहे थे। उक्त संयुक्त आराजियात पर प्रत्यर्थीगण आज भी काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लिपिकीय त्रुटि के कारण राजस्व रेकार्ड में रकबा 65 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से बिना किसी सक्षम अधिकारी के घोषणात्मक दावे के खसरा नम्बर 2/1 केवल 32 बीघा 11 बिस्वा 1 बिस्वांसी की किस्म बारानी दोयम की खातेदारी की अशुद्ध प्रविष्टि का अधिकार अभिलेख में दर्ज कर दिया गया जिसके नवीन सेटलमेंट कार्यवाही में नवीन खसरा नम्बर 16 रकबा केवल मात्र 4.62 हैक्टर ही दर्ज हुए तथा 4 बीघा कृषि भूमि भी कम कर दी गई, शेष 32 बीघा 11 बिस्सा भूमि अपीलार्थी के पक्ष में अशुद्ध प्रविष्ट दर्ज कर नवीन खसरा नम्बर 12, 17, 18, 24, 25, 26, 78, 80 81 कुल रकबा 5.12 हैक्टर के रूप में दर्ज कर दी गई तथा शिवबक्ष के पिताजी का नाम उमाराम एवं भैरूराम के पिता का नाम गुल्लाराम था परन्तु राजस्व अधिकारियों की लिपिकीय त्रुटि के कारण शिवबक्ष तथा भैरूराम की वल्दियत की अशुद्ध वर्तनी दोनों का अधिकार अभिलेख में अशुद्ध इन्द्राज कर दिया गया था जबकि राजस्व नियम के अनुसार यह सिद्धान्त है कि पश्चातवर्ती राजस्व अंकन प्रविष्टि के आधार पर ही नवीन रेकार्ड जमाबंदी दर्ज की जाती है। प्रत्यर्थीगण के पूर्वज शिवबक्ष व भैरूराम ने उक्त खसरा नम्बर संख्या 2 में प्रत्येक ने 1/4–1/4 हिस्से का कभी भी अन्तरण अपीलार्थी को नहीं किया। उक्त राजस्व प्रविष्टि अशुद्ध अवैध, एवंि विधिविरूद्ध की गई थी जो राजस्व नियमों के प्रतिकूल है। शिवबक्ष व भैरूराम अनुसूचित जाति के गरीब व अनपढ़ ग्रामीण कृषक होने के कारण राजस्व रेकार्ड में किये गये गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हो सकी और शिवबक्ष व भैरूराम राजस्व कर्मचारियों की उक्त त्रुटि से अनभिज्ञ रहे। उक्त प्रविष्टि के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सके और शिवबक्ष व भैरूराम के वल्दियत की त्रुटिपूर्ण वर्तनी दर्ज होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिन्होंने बाद जांच अपीलार्थी (तहसीलदार) का नाम

को हटाकर राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कर पुनः संशोधन कर शुद्ध प्रविष्टि के तौर पर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में शुद्ध अंकन कर खातेदारी की प्रविष्टि दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये है। जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया कि ''अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 में प्रविष्टि इस प्रकार दर्ज है कि नोट जरिये नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 2–9–1977 के अनुसार खाता हाजा में 1/2 हिस्सा रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा की अलाव जोत काबिल राज्य सरकार के हक में मंजूर हुआ।'' पूर्णतया निराधार है। क्योंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 2–9–1977 की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के समक्ष दिनांक 28–11–2017 को निर्धारित प्रतिलिपि आवेदन में आवेदन किया गया । प्रतिलिपि आवेदन के पृष्ठ भाग पर रेकार्ड शाखा द्वारा टिप्पणी अंकित की गई कि'' आवेदक ने ग्राम पनवाडी तहसील नांवा के नामान्तरकरण संख्या 75 (गत) दिनांक 2–9–1977 की प्रति चाही है । संबंधित बस्ते पर परत व प्रतिपरत दोनों ही उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में नकल तैयार किया जाना संभव नहीं है।'' इससे यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की विवादग्रस्त आराजियात को जिस आधार पर अलाव जोत काबिल राज्य सरकार के हक में दर्ज किया गया था उसका कोई आधार ही नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा –136 का क्षैत्र व्यापक नहीं होकर सीमित है जिसके द्वारा रेकार्ड अथवा दस्तावेज में कोई त्रुटि नजर आये तो उसे दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की विवादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 2–9–1977 को आधार मानकर भूमि तहसीलदार के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि पूर्व जमाबंदी की नकलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चली आ रही है। नियमानुसार राजस्व अभिलेख में पूर्व के इन्द्राज को ही यथावत रखे जाने का प्रावधान है जब तक कि किसी भूमि का विधिवत् रूप से किसी अन्य को हस्तान्तरण नहीं किया गया हो। राजस्व अभिलेख में सम्वत 2012–15 रिज्यूम जागीरदारी के समय से ही ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 2का रकबा 65 बीघा 2 बिस्वा के कृषक शिवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 भैरू पुत्र मूला 1/2 बलाई बांसडा का नाम दर्ज होकर सम्वत 2023 तक इन्द्राज है। जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023, 2024–2027, 2031–34 व 2035–2038 में खातेदारों एवं उनके पूर्वजो के नाम बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे है। गिरदावरी नकल सम्वत 2014–2016, 2017–2019, 2020, 2028–2029 में प्रत्यर्थीगण के पूर्वज एवं उसके पश्चात प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा

है। विवादग्रस्त आराजियात पर अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने से कार्यवाही किया जाना सिद्ध है जिससे स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात पर निरन्तर कब्जा काश्त प्रत्यर्थीगण का ही चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों की भूमि 32 बीघा 11 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए थी। राजस्व अभिलेख में सम्वत 2035 से 2038 में खसरा नम्बर 2 रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा उक्त अंकन के संबंध में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया। जिस नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांकित 2–9–1977 के आधार पर प्रत्यर्थीगण की वादग्रस्त आराजियात जो कि पूर्वजों के समय से ही उनके नाम चली आ रही है, को सिवायचक घोषित किया गया है यह नामान्तरकरण रिकार्ड पर कहीं भी मौजूद नहीं है जो कि प्रत्यर्थीगण व तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा स्वीकृत तथ्य है। इससे स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट की कार्यवाही में खसरा नम्बर 16 की जमाबंदी में शिवबक्ष व भैरूराम के पक्ष में केवल 4.72 हैक्टर बारानी 2 की खातेदारी दर्ज कर 4 बीघा कृषि भूमि पर शिवबक्ष व भैरू की खातेदारी कम कर दी गई। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि राजस्व प्रविष्टि के अशुद्ध अंकन को सेटलमेंट के बाद भू–लेखाधिकारी से अशुद्ध अंकन के संबंध में जानकारी में जाने के बाद ऐसी वार्षिक रजिस्टर की राजस्व प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा ग्राम पनवाडी के नवीन खसरा नम्बर 12, 17, 18, 24, 25, 26, 78, 80, 81 कुल रकबा 5.12 हैक्टर के संबंध में अंकित अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर तहसीलदार के नाम को हटाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर शुद्ध प्रविष्ट के तौर पर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में शुद्ध अंकन कर खातेदारी की प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–01–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2013 (48/13) बउनवान पूसाराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर